रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 343] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 1972/आषाढ़ 29, 1894

No 343] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 1972/ASADHA 29, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 20th July 1972

S.O. 497(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 4460/18A/IDRA/67, dated the 14th December, 1967, namely:—

In paragraph 2 of the said Order,—

(i) for item 2, the following item shall be substituted, namely:—

"2. Shri S. P. Balasubrahmanyan, Chief Director, Directorate of Sugar and Vanaspati, (Department of Food), New Delhi.";

(ii) for item 5, the following item shall be substituted, namely:—

"5. Shri A.L.N. Moorthy, Director (Sugar Control), Directorate of Sugar and Vanaspati, (Department of Food), New Delhi."

[No. F.4/13/72-C.C.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1972

का० आ० 497 (अ).—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उप धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 446/18ए/आई डी आर ए/67, तारीख 14 नवम्बर, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैरा 2 में :—

(i) मद 2 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"2 श्री एस० पी० बालासुब्रामण्यम, मुख्य निदेशक, शर्करा और वनस्पति निदेशालय/ (खाद्य विभाग), नई दिल्ली ।"

(ii) मद 5 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

5. श्री ए० एल० एन० मूर्ति, निदेशक (शर्करा नियंत्रण) शर्करा और वनस्पति निदेशालय (खाद्य विभाग), नई दिल्ली ।"

[सं० फा० 4/13/72—सी० यू०सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972